राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या–333/2017/जयपुर
2. अपील संख्या–334/2017/जयपुर
3. अपील संख्या–335/2017/जयपुर
4. अपील संख्या–336/2017/जयपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वृत्त–द्वितीय, जयपुर .....अपीलार्थी.

बनाम्

मैसर्स जैना मोबाईल इण्डिया प्रा. लिमिटेड,
ए–125, श्रीगोपाल नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

राजीव चौधरी, सदस्य

ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह
उप–राजकीय अभिभाषक। .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री विक्रम गोगारा
अभिभाषक। .....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 10.01.2018

निर्णय

1. अपीलार्थी वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वृत्त–द्वितीय जयपुर (जिसे आगे **''कर निर्धारण अधिकारी''** कहा गया है) द्वारा उक्त चारों अपीलें अपीलाय प्राधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के द्वारा अपील सं. क्रमश 251, 252, 253 व 254/अ.प्रा. 1/एल/जयपुर/2015–16 में पारित किये गये संयुक्त आदेश दिनांक 08.08.2016 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत् प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधियों के लिये पारित किये गये पृथक–पृथक आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार किया है।

2. इन चारों अपीलों में पक्षकार एवं विवादित बिन्दु समान होने से सभी अपीलों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जाकर निर्णय की प्रति सभी पत्रावलियों में पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधियों वर्ष 2009–10 से 2012–13 के दौरान ''लेपटॉप/मोबाईल फोन के चार्जर'' का विक्रय 4/5 प्रतिशत की दर से किया गया, जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त माल को 12.5/14/15 प्रतिशत की दर से कर योग्य मानते हुए तद्नुसार अन्तर कर, ब्याज एवं करापवंचन के लिये धारा 61 के तहत् शास्ति का आरोपण आदेश दिनांक 17.01.2011 से किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेश के

लगातार.....2.

10.01.2018 10/01/18

विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपीलें, अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश से आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पंजाब राज्य व अन्य बनाम मैसर्स नोकिया इंडिया प्रा. लि. में पारित किये गये निर्णय दिनांक 17.12.2014 के आलोक में कर व ब्याज की पुष्टि की गयी, जबकि धारा 61 के तहत् आरोपित शास्ति को माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत (2010) 26 टैक्स अपडेट 01 मैसर्स श्रीकृष्णा इलेक्ट्रिकल्स के आलोक अपास्त की गयी।

4. अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध व्यवहारी द्वारा अपील संख्या 2250/2016 से 2253/2016/जयपुर एवं अपीलीर्थी राजस्व द्वारा अपील संख्या 333/2017 से 336/2017 प्रस्तुत की गयी। माननीय कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की अपील संख्या 2250/2016 से 2253/2016/जयपुर में निर्णय दिनांक 27.06.2017 पारित किया जा चुका है। जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें अस्वीकार करते हुए कर व ब्याज की पुष्टि की गयी है।

5. अतः प्रस्तुत अपीलें अपीलार्थी राजस्व द्वार धारा 61 के तहत् आरोपित शास्ति को अपास्त किये जाने के संबंध में प्रस्तुत की गयी है।

6. विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति अपास्त करने के आदेश को त्रुटिपूर्ण एवं विधि विरूद्ध होने का कथन किया तथा अपीलें स्वीकार करने का निवेदन किया।

7. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक द्वारा अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए राजस्व की अपीलें अस्वीकार करने का निवेदन किया।

8. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

9. वर्तमान प्रकरणों में मुख्य बिन्दु बिक्रीत वस्तुओं के वर्गीकरण व कर दर से संबंधित रहा है। उसी के पारिणामिक शास्ति आरोपित की गयी। बिक्रीत माल के कर दर व वर्गीकरण के संबंध में आक्षेपित निर्णय दिनांक 08.08.2016 के विरूद्ध व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें इस बोर्ड द्वारा दिनांक 27.06.2017 को निर्णित की जा चुकी है। अपीलीय अधिकारी द्वारा यह अवधारित किया गया है कि व्यवहारी द्वारा प्रथम दृष्टया बिक्री के आकड़ों को गलत नहीं दर्शाया गया है तथा कर दायित्व कम करने के आशंय से बिक्री को छुपाया भी नहीं गया है। इस प्रकार यह निर्विवादित है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा समस्त बिक्री अपने बहीयात एवं बिक्री विवरण प्रपत्रों में प्रदर्शित कर रखी है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा **माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2010) 26 टैक्स अपडेट 01 मैसर्स श्रीकृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम तमिलनाडू राज्य निर्णय दिनांक 21.04.2009** के आलोक में शास्ति को अपास्त करने में कोई त्रुटि कारित नहीं की गयी है। अतः अपीलार्थी राजस्व की अपीलें अस्वीकार किये जाने योग्य है।

10. परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार किया जाता है।

11. निर्णय सुनाया गया।

10.01.2018

(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य

10/01/18

(राजीव चौधरी)
सदस्य